This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 23 सितम्बर, 2023 / 01 आश्विन, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–52 / 2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक,

2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 17) जो आज दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्याक 17

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. अनुसूची 1–क का संशोधन।

2023 का विधेयक संख्याक 17

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमत होः–

1. **संक्षिप्त नाम.**––इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2. **अनुसूची 1–क का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1–क में,–

(क) अनुच्छेद 3 में, "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुच्छेद 4 में, "दस रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) अनुच्छेद 5 में, "पचास रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(घ) अनुच्छेद 23 में,–

(i) "सम्पत्ति के बाजार मूल्य या क्रय मूल्य की रकम का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत" शब्दों, अंकों और चिन्ह के स्थान पर "पचास लाख

तक के सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी अधिक हो, का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत और पचास लाख से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम की सम्पत्ति, जो भी अधिक हो, के लिए 8.00 प्रतिशत" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ii) दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित शब्दों के पश्चात् "।" चिन्ह के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु, यदि विक्रय विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर वही क्रेता और विक्रेता, विक्रय विलेख, जिसका बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम पूर्वतर विलेख (विलेखों) की रकम सहित, पचास लाख रुपए से अधिक हो, के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो पूर्वतर मामलों सहित समस्त मामलों में 8 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जायेगा।

(ङ) अनुच्छेद 31 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"सम्पत्ति का विनिमय (आदान—प्रदान) विलेख।

(क) रक्त संबंधी व्यक्तियों (एक ही पूर्वज से अवजनित) और पति और पत्नी के मध्य।

न्यूनतम सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन विनिमय की गई सम्पत्ति के निम्नतर मूल्य का 0.05 प्रतिशत;

(ख) ऐसे व्यक्तियों, जो रक्त-संबंधी नहीं हैं के मध्य।

न्यूनतम सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन, विनिमय की गई सम्पत्ति के निम्नतर मूल्य का 0.05 प्रतिशत; और अनुच्छेद 23 के अनुसार सम्पत्ति के उच्चतर मूल्य में से सम्पत्ति के निम्नतर मूल्य को घटाकर प्राप्त मूल्य।";

(च) अनुच्छेद 33 में,—

(i) "सम्पत्ति के बाजार मूल्य का ''महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत" शब्द, अंक और चिन्ह के स्थान पर "पचास लाख तक के सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी उच्चतर हो, का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत और पचास लाख से अधिक बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम की समस्त सम्पत्ति के लिए 8.00 प्रतिशत" शब्द, अंक और चिन्ह रखे जाएंगे; और

(ii) अनुच्छेद 33 के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक रखे जायेंगे, अर्थात्:—

"परन्तु यदि दान विलेख के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक वर्ष के भीतर वही प्रदाता और आदाता दान विलेख जिसका बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम पूर्वतर विलेख (विलेखों) की रकम सहित, पचास लाख रुपए से अधिक हो, वही प्रदाता और आदाताए आवेदन करते हैं तो पूर्वतर मामलों सहित समस्त मामलों में 8.00 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क प्रभारित किया जायेगाः

"परन्तु यह और कि इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, रक्त संबंधी व्यक्तियों (एक ही पूर्वज से अवजनित) और पति और पत्नी के मध्य न्यूनतम पांच हजार रुपए और अधिकतम दस हजार रुपए के अध्यधीन अंतरित संपत्ति के बाजार मूल्य का 0.05 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा। '';

(छ) अनुच्छेद 35 में "5.00 प्रतिशत" अंकों और चिन्हों के स्थान पर, 6.00 प्रतिशत अंक और चिन्ह रखे जाएंगे;

(ज) अनुच्छेद 40 में;—

(i) खण्ड (क) में ,—''सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम का 4.00 प्रतिशत महिलाओं के लिए और अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत अंकों, चिन्हों और शब्दों के स्थान पर पचास लाख तक के सम्पत्ति के बाजार मूल्य या प्रतिफल रकम, जो भी उच्चतर हो, का महिलाओं के लिए 4.00 प्रतिशत तथा अन्य व्यक्तियों के लिए 6.00 प्रतिशत और पचास लाख से अधिक बाजार मूल्य सम्पत्ति या प्रतिफल रकम की सम्पत्ति, जो भी उच्चतर हो के लिए 8.00 प्रतिशत'' शब्द अंक और चिन्ह रखें जाएंगे;

(ख) "दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित" शब्दों के पश्चात् चिन्ह "।" के स्थान पर ":" चिन्ह रखा जाएगा और उसके पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यदि एक वर्ष के भीतर, वही बंधककर्ता और बंधकदार बंधक विलेख जिसका बाजार मूल्य या प्रतिभूत रकम पूर्वतर विलेख (विलेखों) की रकम सहित पचास लाख से अधिक है, के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करते हैं, तो पूर्वतर मामलों सहित, समस्त मामलों में 8.00 प्रतिशत स्टांप शुल्क प्रभारित किया जाएगा; और

(ii) खंड (ख) में, "न्यूनतम एक सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन तथा शुल्क दस रुपए के निकटतम तक पूर्णांकित" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) अनुच्छेद 48 के खण्ड (क), (ख) और (ग) में "एक सौ रुपए", "एक सौ पचास रुपए" और "दो सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर क्रमशः "एक हजार रुपए", "एक हजार पांच सौ रुपए" और "दो हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे; और

(ञ) अनुच्छेद 58 के खण्ड क में "न्यूनतम एक सौ रुपए और अधिकतम एक हजार रुपए के अध्यधीन'' शब्दों के स्थान पर "न्यूनतम दो हजार रुपए और अधिकतम पांच हजार रुपए के अध्यधीन'' शब्द रखे जाएंगे।

———————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अधीन विभिन्न लिखतों की बाबत स्टाम्प शुल्क की दरें पिछले दस वर्षों से संशोधित नहीं की गई हैं। पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न परिशिष्ट 1—क में विभिन्न अनुच्छेदों की शुल्क—दरों को संशोधित करना समय की आवश्यकता है।

इस प्रकार हिमाचल प्रदेश राज्य को लागू पूर्वोक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची—1 क को संशोधित करके दत्तक ग्रहण, हस्तांतरण पत्र, सम्पत्ति का विनिमय, दान, पट्टा, बंधक, मुखतारनामा और बंदोबस्त की बाबत स्टाम्प शुल्क की विद्यमान दरों में आवश्यक परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए पूर्वोक्त अधिनियम में संशोधन करना आवश्यक हो गया है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

शिमलाः

तारीखः ...., 2023

वित्तीय ज्ञापन

–शून्य–

————————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

————————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें (नस्ति संख्याः–)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023 की विषय वस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

————————

भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का अधिनियम संख्यांक 2) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(जगत सिंह नेगी)
प्रभारी मंत्री।

————————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः ...., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 17 OF 2023

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title.
2. Amendment of Schedule 1-A.

BILL NO. 17 OF 2023

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.—This Act may be called the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Act, 2023.

2. Amendment of Schedule 1-A.—In the Indian Stamp Act, 1899, as applicable in the State of Himachal Pradesh, in Schedule 1-A,—

(a) in article 3, for the words "One hundred rupees", the words "One thousand rupees" shall be substituted;

(b) in article 4, for the words "Ten rupees", the words "Twenty rupees" shall be substituted;

(c) in article 5, for the words "Fifty rupees", the words "One hundred rupees" shall be substituted;

(d) in article 23,—

(i) for figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, of the market value of the property or of the amount of purchase money, whichever

is higher", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, upto Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher; and 8% for all above Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher" shall be substituted;

(ii) after the words "rupees Ten" for the sign ",", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if within one year from the date of registration of the sale deed, the same purchaser and seller apply for the registration of sale deed, having market value or consideration amount more than Rupees fifty lakh including the amount of the earlier deed(s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases, shall be charged.";

(e) for article 31, the following shall be substituted, namely:—

"**Exchange of Property, Instrument of.**

(a)	between persons of blood relation (common ancestors) and between wife and husband;	0.05% of the lower value of the exchanged property, subject to the minimum of Rupees one hundred and maximum Rupees one thousand;
(b)	between persons not related by blood relations.	0.05% of the lower value of the exchanged property, subject to the minimum of Rupees one hundred and maximum Rupees one thousand; and as per article 23 on the value arrived at after deducting the lower value of property from the higher value of the property.".

(f) in article 33,—

(i) for the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, of the market value of the property", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, upto Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher and 8% for all above Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the amount of consideration amount whichever is higher" shall be substituted; and

(ii) at the end of article 33, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that if within one year, the same donor and donee apply for the registration of gift deed, having market value or consideration amount more than Rupees fifty lakh including the amount of earlier deed(s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases shall be charged:

Provided further that for the purpose of this article, 0.05% of the market value of the transferred property in between persons of blood relation (common ancestors) and between husband and wife, subject to minimum Rupees five thousand and maximum Rupees ten thousand shall be charged.";

(g) in article 35, for the figures and sign "5.00%", the figures and sign "6.00%" shall be substituted;

(h) in article 40,—

(i) in clause (a),—

(a) after the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, of the market value of the property", the figures, signs and words "4.00% for women and 6.00% for other persons, upto Rupees fifty lakh of the market value of the property or of the consideration amount whichever is higher and 8% for all above Rupees fifty lakh of the market value of the property " shall be substituted;

(b) after the words rupees Ten for the sign ".", the sign ":" shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that if within one year, the same Mortgagor and Mortgagee apply for the registration of mortgage deed, having market value or secured amount more than Rupees fifty lakh including the amount of earlier deed(s), 8% stamp duty in all cases including earlier cases shall be charged; and

(ii) in clause (b), the words "subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand and duty rounded off to the nearest rupees Ten" shall be deleted;

(i) in the article 48, in clauses (a), (b) and (c), for the words "One hundred rupees", "One hundred and fifty rupees" and "Two hundred rupees" the words "One thousand rupees", "One thousand and five hundred rupees" and "Two thousand rupees" shall be substituted respectively; and

(j) in article 58, in clause A, for the words "subject to the minimum of rupees one hundred and maximum rupees one thousand", the words "subject to minimum of rupees two thousand and maximum rupees five thousand" shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The rates of Stamp Duty in respect of various instruments under the Indian Stamp Act as applicable in the State of Himachal Pradesh have not been revised for the last 10 years. It is the need of the hour to revise the rates of duties of different articles in the Schedule 1-A appended to the Act *ibid*.

As such, it has been proposed to make necessary changes in the existing rates of stamp duty in respect of adoption, conveyance, exchange of property, gift, lease, mortgage, power of attorney and settlement by amending Schedule-1A appended to the Act *ibid*, in its application to the State of Himachal Pradesh. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

SHIMLA :

The................................, 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. Rev. Stamp(F)1-1/2005-V)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Indian Stamp (Himachal Pradesh Amendment) Bill, 2023, recommends, under article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE INDIAN STAMP (HIMACHAL PRADESH AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Indian Stamp Act, 1899 (Act No.2 of 1899), in its application to the State of Himachal Pradesh.

(JAGAT SINGH NEGI)
Minister-in-Charge.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA :

THE ...., 2023

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक/1–50/2023.––हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 15) जो आज दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित/–

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्ड :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 3 का संशोधन।
3. धारा 4 का संशोधन।
4. धारा 5 का संशोधन।

5. धारा 20 का संशोधन।
6. अनुसूची-III और अनुसूची-IV का अन्तःस्थापन।
7. निरसन और व्यावृत्तियां।

2023 का विधेयक संख्यांक 15

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**––(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

(2) यह 23 अगस्त, 2023 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. **धारा 3 का संशोधन.**––हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 3 में,–

(क) उप–धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

''(1–क) हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 (1994 का 12) के अधीन स्थापित नगर निगमों में और इस अधिनियम की अनुसूची-III में यथा दर्शाए गए पद राज्य स्तरीय नगर निगम सेवा में समाविष्ट होंगे।''; और

(ख) उप–धारा (2) में ''अनुसूची-I'' शब्द, चिन्ह और संख्या के पश्चात् ''यथास्थिति, या अनुसूची-III'' शब्द, चिन्ह और संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी।

3. **धारा 4 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (3) में '' अनुसूची-I'' शब्द, चिन्ह और संख्या के पश्चात् '' अनुसूची-III'' शब्द, चिन्ह और संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी।

4. **धारा 5 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 5 की उप–धारा (1) में, ''अनुसूची-II'' शब्द, चिन्ह और संख्या के पश्चात् '',यथास्थिति, या अनुसूची-IV ''शब्द, चिन्ह और संख्या अन्तःस्थापित की जाएगी।

5. **धारा 20 का संशोधन.**––मूल अधिनियम की धारा 20 में, ''अनुसूची-I और II'' शब्द, चिन्ह और संख्या के स्थान पर ''अनुसूची-I, II, III और IV'' शब्द, चिन्ह और संख्या रखी जाएगी।

6. **अनुसूची-III और अनुसूची-IV का अन्तःस्थापन.**––मूल अधिनियम में अनुसूची-II के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूचियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"अनुसूची-III

[धारा 3(1–क) देखें]

क्रम संख्या	सेवा का नाम
1	2

हिमाचल प्रदेश राज्य स्तरीय नगर निगम सेवाएं–

1. अधिशासी अभियन्ता
2. सहायक अभियन्ता
3. प्रशासनिक अधिकारी
4. अधीक्षक ग्रेड-I
5. अधीक्षक ग्रेड-II
6. मुख्य लेखाकार
7. मुख्य सफाई निरीक्षक
8. निजी सचिव
9. निजी सहायक
10. सचिव
11. कनिष्ठ अभियन्ता
12. ड्राफ्ट्समैन
13. वरिष्ठ सहायक
14. सांख्यिकी सहायक
15. लेखाकार
16. कनिष्ठ लेखाकर
17. सफाई निरीक्षक
18. सामुदायिक आयोजक
19. आशुलिपिक
20. स्टैनो टाइपिस्ट
21. सर्वेक्षक
22. सफाई सर्वेक्षक
23. कार्य पर्यवेक्षक तकनीशियन (सर्वेक्षक) के रूप में पुनः पदाभिहित
24. कम्प्यूटर सहायक
25. चालक
26. मीटर रीडर
27. मीटर मैकेनिक
28. तकनीकी मैकेनिक
29. कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आई टी)
30. कनिष्ठ ड्राफ्ट्समैन/सहायक ड्राफ्ट्समैन
31. लिपिक/कनिष्ठ सहायक
32. डाटा एंट्री ऑपरेटर
33. फेरो प्रिंटर
34. प्रयोगशाला तकनीशियन
35. तकनीशियन (बढ़ई, राजमिस्त्री, लोहार, इलैक्ट्रीशियन, फिटर/पलम्बर और मैकेनिक)
36. पुरुष और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
37. सिलाई अध्यापक"

अनुसूची-IV

[धारा 5(1) देखें]

क्रम संख्या	सेवा का नाम
1	2
1.	वास्तुकार योजनाकार
2.	निगम स्वास्थ्य अधिकारी / स्वास्थ्य अधिकारी
3.	नगर योजनाकार
4.	पशु चिकित्सा लोक स्वास्थ्य अधिकारी
5.	विधि अधिकारी
6.	योजनाकार अधिकारी
7.	नायब तहसीलदार
8.	पशु चिकित्सा भेषजज्ञ
9.	उप नियंत्रक लेखाकार
10.	अनुभाग अधिकारी (वित्त एवं लेखा)
11.	सहायक वास्तुकार योजनाकार
12.	कानूनगो
13.	पटवारी।''।

7. निरसन और व्यावृत्तियां.––(1) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का 3) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

––––––––

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) हिमाचल प्रदेश राज्य में नगरपालिका सेवाओं में एकीकरण, भर्ती और शर्तों तथा उनसे संबद्ध अन्य विषयों के लिए अधिनियमित किया गया था। क्योंकि राज्य में केवल एक नगर निगम नामतः शिमला नगर निगम था इसलिए, नगर निगम के पद राज्य स्तरीय सेवाओं में सम्मिलित नहीं किए गए थे और केवल नगर परिषदों और नगर पंचायतों के पदों को ही राज्य काडर का बनाया गया था। अब धर्मशाला, सोलन, मण्डी और पालमपुर में चार नए नगर निगम गठित किए गए हैं। अतः इन नगर निगमों के पदों को भी राज्य स्तरीय सेवाओं में सम्मिलित किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

चूंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं थी और नगरपालिका सेवाएं अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का अनिवार्यतः संशोधन किया जाना था, अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 17 अगस्त, 2023 को हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) अध्यादेश, 2023 (2023 का अध्यादेश संख्यांक 3) प्रख्यापित किया और इसे राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में 23 अगस्त, 2023 को प्रकाशित किया गया था। अबः उक्त अध्यादेश को एक नियमित अधिनियमिति के साथ बिना किसी उपान्तरण के प्रतिस्थापित किए जाने की आवश्यकता है।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

शिमला :

तारीख : ...., 2023

वित्तीय ज्ञापन

—शून्य—

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 11) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमला :

तारीख : ...., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 15 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses :

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 3.
3. Amendment of section 4.
4. Amendment of section 5.
5. Amendment of section 20.
6. Insertion of SCHEDULE-III and SCHEDULE-IV.
7. Repeal and savings.

BILL NO. 15 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall be deemed to have come into force on 23rd day of August, 2023.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (hereinafter referred to as the "principal Act"),—

(a) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(1-a) There shall be State Level Municipal Corporation Services comprising of the posts in Municipal Corporations, established under the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994 (12 of 1994) and as shown in the Schedule-III of this Act."; and

(b) in sub-section (2), after the word, sign and number "Schedule-I", the words, signs and number "or Schedule-III, as the case may be" shall be inserted.

3. Amendment of section 4.—In section 4 of the principal Act, in sub-section (3), after the word, sign and number "Schedule-I", the word, sign and number "Schedule-III" shall be inserted.

4. Amendment of section 5.—In section 5 of the principal Act, in sub section (1), after the word sign and number, "Schedule-II", the words, signs and number "or Schedule-IV, as the case may be" shall be inserted.

5. Amendment of section 20.—In section 20 of the principal Act, for the words, sign and numbers "Schedule-I and II" the words, signs and numbers "Schedule-I, II, III and IV" shall be substituted.

6. Insertion of SCHEDULE-III and SCHEDULE-IV.—In the principal Act, after the SCHEDULE-II, the following SCHEDULES shall be inserted, namely:—

"SCHEDULE-III

[*See* section 3(1-a)]

Sl. No.	Name of Service
1	2

HIMACHAL PRADESH STATE LEVEL MUNICIPAL CORPORATION SERVICES OF—

1. Executive Engineer
2. Assistant Engineer
3. Administrative Officer
4. Superintendent Grade-I
5. Superintendent Grade-II
6. Chief Accountant
7. Chief Sanitary Inspector
8. Private Secretary
9. Personal Assistant
10. Secretary
11. Junior Engineer
12. Draughtsman
13. Senior Assistant
14. Statistical Assistant
15. Accountant
16. Junior Accountant
17. Sanitary Inspector
18. Community Organizer
19. Stenographer
20. Steno Typist
21. Surveyor
22. Sanitary Supervisor
23. Work Supervisor {Redesigned as Technician (Supervisor)}

24. Computer Assistant
25. Driver
26. Meter Reader
27. Meter Mechanic
28. Technical Mechanic
29. Junior Office Assistant (IT)
30. Junior Draughtsman/Assistant Draughtsman
31. Clerk/Junior Assistant
32. Data Entry Operator
33. Ferro Printer
34. Laboratory Technician
35. Technician (Carpenter, Mason, Blacksmith, Electrician, Fitter/Plumber, & Mechanic)
36. Male and Female Health Worker
37. Tailoring Teacher

SCHEDULE-IV
[*See* section 5(1)]

Sl. No.	Name of Service
1	2
1.	Architect Planner
2.	Corporation Health Officer/Health Officer
3.	Town Planner
4.	Veterinary Public Health Officer
5.	Law Officer
6.	Planning Officer
7.	Naib Tehsildar
8.	Veterinary Pharmacist
9.	Deputy Controller Accounts
10.	Section Officer (F&A)
11.	Assistant Architect Planner
12.	Kanungo
13.	Patwari.”.

7. Repeal and savings.—(1) The Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Ordinance, 2023 (3 of 2023) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal any action taken or anything done under the Ordinance so repealed, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) was enacted for the integration, recruitment and conditions of municipal services in the State of Himachal Pradesh and other matters connected therewith. Since, there was only one Municipal Corporation in the

State namely the Shimla Municipal Corporation, therefore, the posts of Municipal Corporation were not included in the State level services and only the posts of Municipal Councils and the Nagar Panchayats were made the State Cadre. Now, four new Municipal Corporations have been constituted at Dharamshala, Solan, Mandi and Palampur. Therefore, the posts of the Municipal Corporations are also required to be included in the State level services.

Since the Himachal Pradesh Legislative Assembly was not in session and the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994) had to be amended urgently, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred under clause (1) of article 213 of the Constitution of India promulgated the Himachal Pradesh Municipal Services (Amendment) Ordinance, 2023 (Ordinance No. 3 of 2023) on 17th August, 2023 and the same was published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh on 23rd August, 2023. Now, the said ordinance is required to be replaced by a regular enactment without any modification.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA :

The…………., 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

—Nil—

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

THE HIMACHAL PRADESH MUNICIPAL SERVICES (AMENDMENT) BILL, 2023

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Municipal Services Act, 1994 (Act No. 11 of 1994).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Miniser.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA :

THE………….........., 2023

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिनांक 21 सितम्बर, 2023

संख्या वि0स0–विधायन–विधेयक / 1–53 / 2023.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम–140 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का विधेयक संख्यांक 13) जो आज दिनांक 21 सितम्बर, 2023 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित हो चुका है, सर्व–साधारण को सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है।

हस्ताक्षरित / –

सचिव,
हि0 प्र0 विधान सभा।

2023 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 3 का संशोधन।

2023 का विधेयक संख्यांक 13

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023

(विधान सभा में पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम.**——इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन अधिनियम, 2023 है।

2. **धारा 3 का संशोधन.**——हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 की धारा 3 में, —

(i) उप—धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यांत्रिक यान या छकड़ा के माध्यम से सड़क द्वारा वहन किए गए अनुसूची—1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक प्रकार के माल पर अनुसूची—1 के स्तंभ (3) में यथाविर्निदिष्ट दरों पर कर उद्‌गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा।"।

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

——————

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 हिमाचल प्रदेश राज्य में सड़क द्वारा वहन किए जाने वाले कतिपय माल पर कर के उद्‌ग्रहण के लिए और सड़क द्वारा वहन किए जाने वाले माल पर अधिरोपित कतिपय करों को विधिमान्य करने और उससे संबद्ध कतिपय अन्य मामलों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया था। वर्तमानतः कतिपय माल पर 250 किलोमीटर तक की दूरी के लिए भिन्न दर पर तथा 250 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए भिन्न दर पर कर उद्‌गृहीत किया जा रहा है। पणधारियों के लिए कराधान प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, दूरी खण्ड का लोप किया जा रहा है ताकि तय की गई दूरी को ध्यान में न रखते हुए कर समान दरों पर उद्‌गृहीत किया जा सके।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मन्त्री।

शिमलाः

तारीखः..............................., 2023

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबन्ध, यदि अधिनियमित किए जाते हैं, तो राजकोष को लगभग 2.35 करोड़ की राजस्व हानि अन्तर्वलित होगी।

———————

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

–शून्य–

———————

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिशें
(नस्ति संख्याः ई. एक्स. एन.–ए(3)–3 / 2023)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात्, भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

———————

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023

हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्यांक 16) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक**।

(सुखविंदर सिंह सुक्खू)
मुख्य मंत्री।

———————

(शरद कुमार लगवाल)
सचिव (विधि)।

शिमलाः
तारीखः.............................., 2023

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 13 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title .
2. Amendment of section 3.

BILL NO. 13 OF 2023

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. Short title.— This Act may be called the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Act, 2023.

2. Amendment of section 3.—In section 3 of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act,1999;

(i) in sub-section (1), for the words "except railways and airways", the words "at the rates as specified in column (3) of Schedule-I" shall be substituted.

(ii) sub-section (2) shall be omitted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Act, 1999 was enacted to provide for levy of a tax on certain goods carried by road in the State of Himachal Pradesh and to validate certain taxes imposed on goods carried by road and for certain other matters

connected therewith. Presently, the tax on certain goods is being levied at different rate for a distance upto 250 kilometers and different for a distance beyond 250 kilometers. In order to simplify the taxation proceedure for the stakeholders, the distance clause is being omitted so that the tax may be levied on uniform rates without taking into account the distance covered.

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

SHIMLA:

THE……….., 2023

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions of the Bill, if enacted, shall involve revenue loss of approximately Rs. 2.35 crore to the State Exchequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

—Nil—

RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE CONSTITUTION OF INDIA

(File No. EXN-A(3)-3/2023)

The Governor of Himachal Pradesh having been informed of the subject matter of the Himachal Pradesh Taxation (on Certain Goods Carried by Road) Amendment Bill, 2023, recommends under article 207 of the Constitution of India, the introduction and the consideration of the Bill in the Legislative Assembly.

THE HIMACHAL PRADESH TAXATION (ON CERTAIN GOODS CARRIED BY ROAD) AMENDMENT BILL, 2023

A

BILL

to amend the Himachal Pradesh Taxation (On certain Goods Carried by Road) Act, 1999 (Act No. 16 of 1999).

(SUKHVINDER SINGH SUKHU)
Chief Minister.

(SHARAD KUMAR LAGWAL)
Secretary (Law).

SHIMLA:
THE………., 2023

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 05 / 2023 दायर तिथि : 18—07—2023

परमानन्द पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शमांह, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री परमानन्द पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शमांह, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू—एन / एस0टी0 / बी0 एण्ड डी0 / डिले केसिस / 2023—2577 दिनांक 17—06—2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत शमांह पम्ता, शावगा, आंगनबाड़ी केन्द्र शमांह द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत शमांह पम्ता एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी पुत्री का नाम प्रिती शर्मा एवं जन्म तिथि 18—04—2016 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम शमांह पम्ता के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 16—10—2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र परमानन्द पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शमांह, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01—09—2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री नवीन कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 06 / 2023 दायर तिथि : 18—07—2023

परमानन्द पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शमांह, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री परमानन्द पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शमांह, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन—पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु / मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू—एन / एस0टी0 / बी0 एण्ड डी0 / डिले केसिस / 2023—2578 दिनांक 17—06—2023 द्वारा अनुलग्नक क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, प्रपत्र 10 सचिव ग्राम पंचायत शमांह पम्ता, शावगा, आंगनबाड़ी केन्द्र शमांह द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, स्कूल द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, परिवार नकल ग्राम पंचायत शमांह पम्ता एवं आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसके पुत्र का नाम प्रिंस शर्मा एवं जन्म तिथि 19—03—2014 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपने पुत्र का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम शमांह पम्ता के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई भी उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 16—10—2023 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस पर अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर उजर / एतराज दर्ज करा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थना—पत्र परमानन्द पुत्र इन्द्र सिंह, निवासी ग्राम शमांह, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 01—09—2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / —
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नवीन कुमार, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 14 / 2023 दायर तिथि : 04—09—2023

अंजना पुत्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम पेदूवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र भू–राजस्व अधिनियम की धारा 37(1) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थिया अंजना पुत्री कल्याण सिंह, निवासी ग्राम पेदूवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना–पत्र मय ब्यान हल्फी, परिवार नकल ग्राम पंचायत भजौन, मौजा गाबर, आधार कार्ड एवं अंक तालिका सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजोन में कुमारी अन्जु पुत्री कल्याण सिंह दर्ज हो गया है जोकि गलती से गलत दर्ज हुआ जिसे प्रार्थिया अब दुरुस्त करवाना चाहती है। प्रार्थिया अपना नाम जोकि मुताबिक ब्यान हल्फी, परिवार नकल, आधार कार्ड एवं अंक तालिका अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त भजौन में कुमारी अन्जु पुत्री कल्याण सिंह की जगह सही नाम अंजना पुत्री कल्याण सिंह दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 16–10–2023 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर / एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए दिये जायेंगे।

आज दिनांक 04–09–2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

प्रकरण संख्या : 19 / 23

हरीश कुमार पुत्र श्री माम चन्द पुत्र राम करण, निवासी हाऊस नं0 52, वार्ड नं0 10, देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

हरीश कुमार पुत्र श्री माम चन्द पुत्र राम करण, निवासी हाऊस नं0 52, वार्ड नं0 10, देवी नगर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदक किन्हीं कारणों से अपने पिता की मृत्यु तिथि 18–02–2012 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाया है। इस बारे आवेदक द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदक ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदक ने ग्राम पंचायत नगर परिषद् पांवटा में मृत्यु तिथि 18–02–2012 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्री माम चन्द पुत्री राम करण की मृत्यु तिथि ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् पांवटा साहिब, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30–10–2023 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्री माम चन्द की मृत्यु तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत / नगरपालिका परिषद् मृत्यु तिथि 18–02–2012 को दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार मृत्यु तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18–09–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

प्रकरण संख्या : 20 / 23

श्रीमती राम आसरी पुत्री खुशी राम, निवासी अजौली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) . . वादिया।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

उनवान मुकद्दमा.——प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती राम आसरी पुत्री खुशी राम, निवासी अजौली, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करके निवेदन किया है कि आवेदिका किन्हीं कारणों से अपनी जन्म तिथि 11–03–1972 का इन्द्राज निर्धारित अवधि के अन्दर सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा पाई है। इस बारे आवेदिका द्वारा एक ब्यान हल्फी भी पेश किया गया है तथा इस सम्बन्ध में दो गवाहों के शपथ–पत्र भी आवेदिका ने अपने प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न किये हैं। आवेदिका ने ग्राम पंचायत अजौली में अपनी ऊपर वर्णित जन्म तिथि 11–03–1972 को दर्ज करने का अनुरोध किया है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को श्रीमती राम आसरी पुत्री खुशी राम की जन्म तिथि ग्राम पंचायत अजौली, तहसील पांवटा साहिब में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह मिति 30–10–2023 को या इससे पूर्व हमारे न्यायालय में हाजिर होकर लिखित अथवा मौखिक एतराज पेश कर सकता है। उक्त निश्चित तिथि के बाद कोई भी एतराज मान्य नहीं होगा और समझा जायेगा कि उक्त श्रीमती राम आसरी की जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत अजौली में दर्ज करने बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा नियमानुसार जन्म तिथि पंजीकरण के आदेश जारी कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 18–09–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार), नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

श्री जय सिंह पुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव अन्धेरी, डा0 पालियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)। मृत्यु स्थान पता गांव मीरपुर कोटला, डा0 एवं ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री जय सिंह पुत्र श्री हंस राज, निवासी गांव अन्धेरी, डा0 पालियों, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके आवेदन किया है कि उनकी पुत्री धनवन्त्री उर्फ शिवानी की मृत्यु तिथि 06–05–2022 है, जोकि ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज नहीं है जिसे प्रार्थी अब ग्राम पंचायत त्रिलोकपुर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा दिनांक 14–10–2023 को प्रातः 10.00 बजे अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। अगर उक्त तारीख तक किसी का उजर/एतराज प्राप्त नहीं होता तो उक्त श्री जय सिंह की पुत्री धनवन्त्री उर्फ शिवानी की मृत्यु तिथि 06–05–2022 ग्राम पंचायत त्रिलोपुर, तहसील नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0) में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिये जावेंगे।

आज दिनांक 12–09–2023 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/–
कार्यकारी दण्डाधिकारी (तहसीलदार),
नाहन, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

———————

CHANGE OF NAME

I, Neelam Sharma w/o Sh. Manish Kumar, r/o Village Saloh, P.O. Hathol, Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Kartik Sharma to Shivansh Sharma for all purposes in future. Please note.

NEELAM SHARMA
w/o Sh. Manish Kumar,
r/o Village Saloh, P.O. Hathol,
Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur (H.P.).

———————

CHANGE OF NAME

I, Kuldeep Kumar s/o Sh. Ramesh Kumar, r/o Near Labour Hostel, Old Abkari, Lal Pani, Shimla (H.P.) age 40 years declare that my daughter's name was wrongly entered as Vadika *instead*

of Vedika in her Matriculation Certificate passed in the year 2023 from CBSE Board. Her name may be read as Vedika *instead* of Vadika. All concerned to note please.

KULDEEP KUMAR
s/o Sh. Ramesh Kumar,
r/o Near Labour Hostel,
Old Abkari, Lal Pani, Shimla (H.P.).

नाम परिवर्तन

मैं, JC 584211N नायब सूबेदार मंशा दीन पुत्र शरीफ मोहम्मद, गांव व डा0 कुट्ठेहड़, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। मैंने अपने पुत्र का नाम रहीश खान से बदलकर सजावल कर दिया है।

JC 584211N नायब सूबेदार मंशा दीन
पुत्र शरीफ मोहम्मद, गांव व डा0 कुट्ठेहड़,
तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

MEDICAL EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th September, 2023

No. HFW-B-(B)1-3/2022.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of Department of Hospital Administration for Dr. Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur in the public interest with immediate effect.

The Governor, Himachal Pradesh is further pleased to order the creation of the following eight faculty posts for Dr. Radhakrishnan Government Medical College, Hamirpur in the public interest with immediate effect as per details given below:—

Sl. No.	Name of the Department	Name of the faculty post	Number of posts
1.	Forensic Medicine	Associate Professor	1
2.	Dermatology	Associate Professor	1
3.	Psychiatry	Associate Professor	1
4.	E. N.T.	Associate Professor	1
5.	Ophthalmology	Associate Professor	1
6.	Dentistry	Associate Professor	1
7.	Anesthesia	Assistant Professor	1
8.	Hospital Administration	Assistant Professor	1
Total . .			8

The above newly created posts shall be filled up as per provisions in the respective R&P Rules.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained *vide* its UO No.55893972-Fin-F(B)1-10/2019 dated 28-8-2023.

By order,

Secretary (Health) .

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।